

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : F2(8)/Comp./BS.13-14/318/३२२

दिनांक : ४/८/१४

उप आवासन आयुक्त  
आवासीय अभियन्ता,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
वृत्त / खण्ड संभास्त

विषय :— पूरक लेखा (Supplementary A/c) 2013-14 प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

आपके वृत्त / खण्ड कार्यालय का वित्तीय वर्ष 2013-14 का पूरक लेखा (Supplementary A/c) आदिनांक तक संकलन प्रकोष्ठ (मु.) में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः बोर्ड के वार्षिक लेखे तैयार करने का कार्य बाधित है। समय पर वार्षिक लेखे तैयार नहीं होने की दशा में बोर्ड की आयकर विवरणिका भी निर्धारित समयावधि में आयकर विभाग में प्रस्तुत नहीं हो पायेगी। इस हेतु बोर्ड पर भारी शास्ति आरोपित होती है।

उक्त अप्रिय स्थिति को टालने के उद्देश्य से आप अपने लेखा कार्मिकों को वांछित समस्त रेकॉर्ड सहित मुख्यालय में दिनांक 5 अगरत, 2014 को इस निर्देश के साथ उपस्थित होने के लिये आदेशित करें कि पूरक लेखा प्रस्तुत करने के उपरान्त उप वित्तीय सलाहकार से कार्यपूर्णता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ें। अतः समस्त लेखाकार्मिकों को तदनुसार पूरक लेखे प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित करावें।

उक्त को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

प्रतीक्षित,-  
प. संयुक्त ५/२१५ (एम.प.) राजस्थान आवासन मण्डल वित्तीय सलाहकार  
कृ. ई-मेल पर अपलोड करने तक प्राप्त हो।  
क्षमाद्वारा